दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

स0. 86 /R-DU/2024 दिनांक– 13. फरवरी 2024

सूचना

प्रायः यह देखा जा रहा है कि फैकल्टी सदस्यों द्वारा ओरिण्टेशन, रिफ्रेशर, रिसर्च मैथोडोलॉजी/ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि कोर्स में प्रतिभाग करने हेतु सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना ही आवेदन कर दिया जाता है तथा चयन होने की स्थिति में ड्यूटी अवकाश एवं कार्यमुक्ति आदेश हेतु सीधे प्रशासन में आवेदन प्रेषित कर दिया जाता है। यह एक उचित परम्परा नहीं है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में समस्त फैकल्टी सदस्यों से अपेक्षित है कि उपरोक्त कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन करने के लिये यथा समय पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि पूर्व अनुमति लिये बिना अवकाश अथवा कार्यमुक्ति आदेश का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. समस्त डीन, प्रभारी डीन, विभागाध्यक्ष, प्रभारी विभागाध्यक्ष एवं पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. समस्त फैकल्टी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक कुलसचिव प्रशासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
कुलसचिव